प्रेस नोट

दिनांक 18.05.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की फर्जी बैनामा कराने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित कुमार पालिवाल के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-45/23, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01. संदीप निगम, 02. अभिषेक कुमार कश्यप को झिलाही क्रासिंग मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी बदलू पुत्र ठाकुरदीन नि0 अमवा माफी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना मनकापुर में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विपक्षीगणों द्वारा जमीन बैनामा करा लेने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 18.05.2025 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोपी अभियुक्त 01. संदीप निगम, 02. अभिषेक कुमार कश्यप को झिलाही क्रासिंग मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. संदीप निगम पुत्र हरिहर नारायण निवासी 288/125 आर्यनगर थाना नाका जनपद लखनऊ।
02. अभिषेक कुमार कश्यप पुत्र विजय कुमार कश्यप निवासी रिंग रोड़ फरीदनगर थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-45/23, धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पिन्टू यादव।
02. हे0का0 सुरेश कुमार गुप्ता।
03. का0 दुर्गेश चौधरी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.05.2025, थाना को0 देहात,
जनपद गोण्डा।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-506/23, धारा 419, 420, 467, 468, 471, भादवि थाना कोतवाली देहात से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सोहनलाल यादव को सुभागपुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री गुलशन यादव पुत्र हरिशंकर यादव निवासी मीरपुरवा मौजा दुल्लापुर तरहर, थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा आदि लोगो द्वारा थाना को0 देहात पर सूचना दिया कि विपक्षीगण द्वारा जालसाज, बेइमानी, छलकपट व धोखाधड़ी करके प्रार्थीगण से सम्पर्क करके रेलवे में नौकरी दिलाने हेतु कुल 14 लाख रूपये रूपये लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 18.05.2025 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त सोहन लाल यादव को सुभागपुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सोहन लाल यादव पुत्र राजित राम यादव नि0 बेला थाना को0 देहात जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-506/23, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 प्रशान्त शुक्ला
02. हे0का0 शौकत अली
03. का0 राजीव वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.05.2025

परिवार परामर्श केन्द्र में 02 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा की उपस्थिति में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 02 जोड़ा को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-

श्री गंगाधर शुक्ला, श्री राजमंगल मोर्या, श्री शशी भारती, श्री यशोदा नन्दन त्रिपाठी, श्रीमती संतोष ओझा, महिला थाना प्रभारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, म0आ0 ज्योति राजभर, म0आ0 शाहिना बानों, म0का0 नेहा चौहान आदि उपस्थित रही।

मीडिया सेल, गोंडा।